



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13167

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 484 सन् 2026

राम अवतार सिंह बघेल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: जैनेंद्र कुमार मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जैनेंद्र कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उनकी नियुक्ति 01.08.1986 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी और उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। वह सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 14.06.2025 को एक पत्र जारी किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
4. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक व्यापक निवेदन प्रस्तुत करे। प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष निवेदन प्रस्तुत करने पर, याचिकाकर्ता आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

20 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।